Lathi-charge on women satyagrahis at Apanigada, Andhra Pradesh by Central Reserve Police

9798. PROF. MADHU DANDAVATE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Central Reserve Police resorted to lathi-charge on peaceful women satyagrahis including a pregnant woman at Apanigada;

(b) whether there is a demand for the institution of judicial enquiry to investigate into the matter; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): (a) to (c). Government have no such information. However, facts are being ascertained.

स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

9799. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री महा दीपक सिंह शाक्य :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 30 अप्रैल तक राज्य वार पेंशन के लिए आवेदन करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) 30 अप्रैल, 1973 तक जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी दी गई है उनकी राज्यवार संख्या क्या है ;

(ग) पेंशन की मंजूरी मिलने के बाद भी स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की राशि मिलने में असाधारण विलम्ब होता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने इस विलम्ब का निवारण करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ). एक स्वतंत्रता सेनानी को पात्र पाये जाने के बाद संबंधित क्षेत्र/राज्य के लेखा प्राधिकारियों को पेंशन स्वीकृत करने का आदेश दिया जाता है । साथ ही स्वतंत्रता सेनानी को संबंधित प्राधिकारियों की आवश्यक दस्तावेज भेजने की सलाह दी जाती है । पेंशन लेने का अपेक्षित अधिकार जारी करना स्वतंत्रता सेनानी से इन दस्तावेजों की प्राप्ति पर निर्भर करता है । आमतौर पर स्वतंत्रता सेनानी को दी जानेवाली पेंशन के पहले भुगतान में चार पांच हफ्ते लगते हैं । किन्तु लेखा प्राधिकारियों से शीघ्रातिशीघ्र पेंशन का भुगतान करने हेतु अनुदेश जारी करने के लिये अनुरोध किया गया है ।

विवरण

राज्य	30-4-1973 तक प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र
अंडेमान और निकोबार	7	–
आन्ध्र प्रदेश	9,139	2,076
अरुनाचल प्रदेश	–	–
असम	4,420	847
बिहार	12,756	3,264
चण्डीगढ़	135	37
दिल्ली	2,127	901
गोवा	1,106	182
गुजरात	4,117	1,011
हरियाणा	3,770	507
हिमाचल प्रदेश	1,351	58
जम्मू व काश्मीर	902	74
केरल	4,751	649
मध्य प्रदेश	3,973	791
महाराष्ट्र	12,196	5,394
मणिपुर	244	14
मेघालय	96	30

विवरण

राज्य	30-4-1973 तक प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र
मिजोरम		2
मैसूर	9,250	1,749
नागालैण्ड	2	—
उड़ीसा	3,909	1,507
पांडिचेरी	387	147
पंजाब	10,934	1,621
राजस्थान	1,696	220
तमिलनाडु	10,085	1,872
त्रिपुरा	900	83
उत्तर प्रदेश	19,292	5,917
पश्चिम बंगाल	14,631	3,210
जोड़	1,32,178	32,163

Utilisation of Capacity of Gouripur Container and Closure, Naihati (West Bengal)

9800. PROF. MOHAMMAD ISMAIL: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state: what steps have been taken by Government to use the full production capacity of the Gouripur Container and Closure (Naihati, District-24-Parganas) after its take-over by them?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM): The order for taking over the management of Messrs Containers and Closures Limited, Calcutta, was issued on 29-11-72, and its management was actually taken over on 4-12-72. The Industrial Reconstruction Corporation of India was appointed as its "authorised person". Till 9-2-73, arrangements were made for putting the plant and machinery in shape. Organisational positions to run the factory and the office were filled up. Actual production started only from 11-2-73, and has been gradually increasing. Efforts are continuing to obtain more raw materials so that production in the different shops starts and increases. Efforts are also being made to improve the order-book position.

आकाशवाणी के रांची केन्द्र के कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष

9801. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के रांची केन्द्र की कार्याप्रणाली को लेकर वहां के कर्मचारियों में घोर असन्तोष है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उनके पास बार-बार ज्ञापन भेजे गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). केन्द्र निदेशक के विरुद्ध शिकायतें, जिनमें भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहार के आरोप थे, प्राप्त हुई । इनकी जांच की जा रही है ।

संसद्-सदस्यों और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

9802. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री संसद्-सदस्यों और राज्य-विधान मंडलों के सदस्यों में स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिए जान के बारे में 21 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्वतन्त्रता सेनानियों के राज्य-वार नाम क्या हैं जिन्होंनें पेंशन के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?